FORM

AAP-A
Crim-I

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर बापिणी

सुखाराम बनाम तहसीलदार बापिणी

02 सन् 2025

136 नं.

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 5 | वादी/प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक वाद/प्रार्थना पत्र/ अपील विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण /रेस्पोडेन्ट्स के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन/नोटिस रजि.एडी. की जाकर पत्रावली दिनांक 6/2/25 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> सहायक कलेक्टर बापिणी | |
| 2 / 28 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। मिसल वास्ते मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 27/2/25 को पेश हो। <br> (हस्ताक्षर) <br> सहायक कलेक्टर बापिणी | |
| 02 / 2025 | पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 19/3/25 को पेश हो। <br> रीडर | |
| 5 | पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 17/4/25 को पेश हो <br> रीडर | |
| 5 | पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 09/5/25 को पेश हो। <br> रीडर | |
| | पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प लोहावट में पेश की गई। लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने से पत्रावली फैसल | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| | की गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार ([illegible]) को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

| | |
|---|---|
| [signature] | [signature] |
| सदस्य | अध्यक्ष |
| रा.लो.अ. केम्प | रा.लो.अ. केम्प |
| लोहावट | लोहावट |

## न्यायालय सहायक कलेक्टर बापिणी जिला फलोदी

क्रमांकः कोर्ट/2023/272 दिनांकः–19/5/25

प्रेषितं,

तहसीलदार बापिणी।

विषय–माफिक निर्णय की पालना बावत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 2/25 अनवान सुखाराम V/S तहसीलदार धारा 136 निर्णय दिनांक 10/5/25 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। अतः आप यदि किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो नियमानुसार माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र प्रति।

रीडर

सहायक कलेक्टर एवम

सहायक कलेक्टर बापिणी

जिला फलोदी

प्रस्तुतकर्ता
विक्रम सिंह

**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,**

**बापिणी,**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–            /2024

प्रार्थी ::– सुखाराम पुत्र तुलछाराम जाति सुथार निवासी बापिणी खुर्द तहसील बापिणी जिला फलोदी राज0

बनाम

अप्रार्थी ::– श्रीमान तहसीलदार बापिणी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

मान्यवरजी,

प्रार्थी की और से निम्न निवेदन है :–

01. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 530/3 रकबा 0.6961 हैक्टेयर किस्म बी.–3 व खसरा नम्बर 531/1 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म गे.मु.ढाणी की भूमि ग्राम बापिणी खुर्द पटवार हल्का बापिणी तहसील बापिणी जिला फलोदी की सरहद मे आई हुई है।

यह है कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त मूलवंश कुखाराम पुत्र तुलछाराम दर्ज कर दिया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम सुखाराम पुत्र तुलछाराम है प्रार्थी के नाम से बने तमाम दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र,बैक डायरी इत्यादि मे प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र तुलछाराम दर्ज है लेकिन ग्राम बापिणी खुर्द पटवार हल्का बापिणी तहसील बापिणी के खेत खसरा नम्बर 530/3 व खसरा न 531/1

सुखाराम

................. 2 पर लगातार

के राजस्व रेकर्ड मे नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की सद्भाविक भूल के कारण हुई है जो वर्तमान उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है।

.यह है कि राजस्व रेकर्ड मे रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है।

04.यह है कि उक्त राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के नाम की त्रुटि सुधारने बाबत हल्का पटवारी व तहसीदार बापिणी को निवेदन किया लेकिन उन्होने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी महोदय से आदेश लेना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी ने मजबूरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि के खसरा नम्बर 530/3 रकबा 0.6961 हैक्टेयर किस्म बी.–3 व खसरा नम्बर 531/1 रकबा 0.1214 हैक्टेयर किस्म गे.मु.ढाणी की भूमि ग्राम बापिणी खुर्द पटवार हल्का बापिणी तहसील बापिणी जिला फलोदी के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम कुखाराम पुत्र तुलछाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र तुलछाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवाया जावे।

सुखाराम

विक्रमसिंह भाटी
(एड.)

प्रार्थी